इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 379]   भोपाल, सोमवार, दिनांक 9 सितम्बर 2019—भाद्र 18, शक 1941

परिवहन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 9 सितम्बर 2019

एफ 22—10—2017—आठ.— मध्यप्रदेश मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 75, धारा 85 की उप—धारा (1), धारा 93, धारा 95 की उप—धारा (1) तथा धारा 96 की उप—धारा (2) के खण्ड (अट्ठाईस) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, उक्त अधिनियम की धारा 212 की उप—धारा (1) द्वारा पूर्व में प्रकाशित किए जा चुके है। मध्यप्रदेश मैक्सी कैब, मोटर कैब, आटो रिक्शा तथा मोटर साइकिल को भाड़े पर देने के लिए समूहक (एग्रीगेटर) निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्:—

नियम

1. संक्षिप्त नाम,प्रारम्भ तथा लागू होना.—

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश मैक्सी कैब, मोटर कैब, आटो रिक्शा तथा मोटर साइकिल भाडे पर देने के लिए समूहक (एग्रीगेटर) नियम, 2017 है।
(2) यह नियम मध्यप्रदेश राजपत्र में इनके प्रकाशित होने की तारीख से प्रभावी होगें।
(3) यह नियम संपूर्ण मध्यप्रदेश राज्य मे लागू होंगे।

2. परिभाषाएं.— (1) इन नियमो मे संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) ''अधिनियम ''से अभिप्रेत है, मोटर यान अधिनियम,1988 (1988 का 59);
(ख) ''समूहक (एग्रीगेटर)'' से अभिप्रेत है, परिवहन के प्रयोजन के लिए वाहन चालक से सहबद्ध करने हेतु किसी यात्री के लिए डिजीटल मध्यवर्ती;

(ग) "फ्लीट" से अभिप्रेत है अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किसी अनुबंध के माध्यम से या तो निजी या संलग्न यानों की संख्या;

(घ) "अनुज्ञप्ति" से अभिप्रेत है, नियम 6 के अधीन प्रदान की गई या नवीनीकृत की गई अनुज्ञप्ति;

(ङ.) "अनुज्ञापन प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा 68 की उप–धारा (1) के अधीन गठित क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी;

(च) "अनुज्ञप्तिधारी" से अभिप्रेत है, ऐसा समूहक (एग्रीगेटर) जो इन नियमों के अधीन प्रदान की गई अनुज्ञप्ति को धारक हो।

(2) उन शब्दों और अभिव्यक्तियों के जो इन नियमों में प्रयुक्त हुए हैं, किन्तु इनमें परिभाषित नही किए गए हैं, के वही अर्थ होगें, जो अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों में उन्हें उनके लिए क्रमशः समनुदेशित किए गए हैं।

3. मैक्सी कैब, मोटर कैब, आटो रिक्शा या मोटर साइकिल को भाड़े पर दिए जाने के लिए समूहक(एग्रीगेटर) को अनुज्ञप्ति देना.—कोई भी व्यक्ति इन नियमों के अधीन जारी की गई अनुज्ञप्ति के बिना मैक्सी कैब, मोटर कैब,आटो रिक्शा तथा मोटर साइकिल को भाड़े पर देने के लिए समूहक(एग्रीगेटर) के रूप में स्वंय को नहीं लगाएगा।

4.अनुज्ञप्ति प्रदान करने या नवीनीकरण हेतु आवेदन.—

(1) नियम 6 के अधीन अनुज्ञप्ति प्रदान करने या नवीनीकरण हेतु कोई आवेदन अनुसूची–एक में विनिर्दिष्ट फीस के साथ प्ररूप–1 में, अनुज्ञापन प्राधिकारी को किया जाएगा जो अनुज्ञप्तिधारी इन नियमों के अधीन व्यापार करेगा।

(2) नियम 6 के अधीन मैक्सी कैब, मोटर कैब, आटो रिक्शा तथा मोटर साइकिल प्रवर्ग के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान करने या नवीनीकरण हेतु पृथक् पृथक् आवेदन किया जाएगा।

(3) प्रत्येक शहर के लिए नियम 6 के अधीन अनुज्ञप्ति प्रदान करने या नवीनीकरण हेतु पृथक् आवेदन किया जाएगा।

5.आवेदनों की संवीक्षा करना.—

(1) आवेदक भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932(1932 का 9) के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई फर्म या कम्पनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई कम्पनी होगी।

(2) आवेदक का उस शहर में जिसके लिए अनुज्ञप्ति आवेदित है रजिस्ट्रीकृत कार्यालय होगा तथा आवेदन में उसके मुख्यालय के ब्यौरे जिसमें, दूरभाष क्रमांक, ई–मेल आई–डी तथा कार्यालय प्रभारी के ब्यौरे सम्मिलित हैं, आवेदन में उपलब्ध कराएगा।

(3) आवेदक को आवेदन मे वर्णित प्रवर्गों के न्यूनतम 25 वाहनों का उल्लेख करना होगा जो या तो स्वयं के स्वामित्व के या अनुबंध के माध्यम से संलग्न हों ।

6.अनुज्ञप्ति प्रदान करना.—अनुज्ञापन प्राधिकारी, नियम 4 के अधीन आवेदन की प्राप्ति पर तथा स्वयं का समाधान हो जाने के पश्चात् कि आवेदक ने नियम 5 की अपेक्षाओं की पूर्ति की है प्ररूप—2 में अनुज्ञप्ति प्रदान करेगा या नवीनीकरण करेगा:

परन्तु अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन तब तक निरस्त नहीं किया जाएगा, जब तक कि आवेदक को सुनवाई का अवसर न दे दिया गया हो तथा ऐसे अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा निरस्त करने के कारणों को लिखित में न दिया गया हो।

7. प्रतिभूति निक्षेप किया जाना.—इन नियमों के अधीन अनुज्ञप्ति के लिए आवेदक मोटर कैब की अनुज्ञप्ति हेतु रूपये दस लाख, आटो रिक्शा की अनुज्ञप्ति हेतु रूपये दो लाख तथा मोटर साइकिल की अनुज्ञप्ति हेतु रूपये एक लाख प्रतिभूति परफार्मेंस गारन्टी के तौर पर जो अनुज्ञापन प्राधिकारी के पक्ष में देय हो, प्रस्तुत करेगा तथा प्रस्तुत की गई परफार्मेंस गारन्टी अनुज्ञप्ति की विधिमान्यता तक प्रभावी रहेगी।

8. अनुज्ञप्ति की अवधि.—नियम 6 के अधीन प्रदाय की गई या नवीनीकरण की गई अनुज्ञप्ति प्रदान करने या नवीनीकरण होने की तारीख से दो वर्ष की कालावधि के लिए विधिमान्य होगी।

9. अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण.—

(1) अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण हेतु आवेदन अनुज्ञप्ति का अवसान होने के पूर्व साठ दिवस के भीतर अनुज्ञापन प्राधिकारी को किया जाएगा तथा उसके साथ मूल अनुज्ञप्ति तथा अनुसूची—एक में विनिर्दिष्ट शुल्क के साथ होगा।

(2) उप—नियम (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, अनुज्ञापन प्राधिकारी ऐसी अनुज्ञप्ति के अवसान होने की तारीख के पश्चात् अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण हेतु आवेदन ग्राह्य कर सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि आवेदक को विनिर्दिष्ट समय के भीतर आवेदन करने से ठीक तथा समुचित कारण से निरुद्ध किया गया था। ऐसे मामलों में अनुज्ञापन प्राधिकारी ऐसी अनुज्ञप्ति के अवसान होने की तारीख से अनुसूची—एक में विनिर्दिष्ट फीस के अतिरिक्त रूपये 5000/—प्रतिमाह या उसके भाग के लिए बिलंब शुल्क प्रभारित कर अनुज्ञप्ति नवीनीकरण कर सकेगा और ऐसा नवीनीकरण ऐसे अवसान होने की तारीख से प्रभावी होगा।

10.अनुज्ञप्ति की द्वितीय प्रति जारी करना.— यदि किसी भी समय इन नियमों के अधीन जारी की गई अनुज्ञप्ति गुम हो जाती है अथवा नष्ट या खराब हो जाती है तो अनुज्ञप्तिधारी तुरन्त अनुज्ञापन प्राधिकारी को अनुसूची—एक में विनिर्दिष्ट फीस के साथ प्ररूप—3 में अनुज्ञप्ति की द्वितीय प्रति जारी करने हेतु आवेदन करेगा। अनुज्ञापन प्राधिकारी ऐसे आवेदन की प्राप्ति पर लाल स्याही से "द्वितीय प्रति" स्टाम्पित की हुई दूसरी अनुज्ञप्ति जारी करेगा। यदि अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति अभ्यावेदन पर जारी की गई है कि प्रदान की गई मूल अनुज्ञप्ति गुम गई है और मूल अनुज्ञप्ति बाद में यदि मिल जाती है तो अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति अनुज्ञापन प्राधिकारी के पास अभ्यर्पित कर दी जाएगी।

11.अनुज्ञप्ति धारक द्वारा अनुपालन की जाने वाली सामान्य शर्तें.—

(1) अनुज्ञप्तिधारी मोटरयान अधिनियम, 1988 तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों को सम्मिलित करते हुए ऐसे सभी सुसंगत कानून का पालन करेगा जो लागू किए जाएं।

(2) अनुज्ञप्तिधारी किसी वेब पोर्टल अथवा ऐप के माध्यम से समूहक(एग्रीगेटर) के रूप में कार्य करेगा, जिसके ब्यौरे संबंधित अनुज्ञापन प्राधिकारी तथा यातायात पुलिस को उपलब्ध कराए जाएगे ।

(3) अनुज्ञप्तिधारी वेब पोर्टल अथवा ऐप संधारित करेगा जिसमें अनुज्ञप्ति, रजिस्ट्रीकरण क्रमांक, पता, ई–मेल आई डी के अद्यतन ब्यौरों के समस्त विवरण वेब पोर्टल संधारित करेगा तथा उसके मुख्यालय के ब्यौरे तथा स्थानीय कार्यालय कंपनी/फर्म का नाम उपलब्ध होंगे ।

(4) अनुज्ञप्तिधारी, प्ररूप–4 में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार दस्ते की अद्यतन एम आई एस रिपोर्ट संधारित करेगा तथा जो अनुज्ञापन प्राधिकारी तथा यातायात पुलिस को आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराएगा।

(5) अनुज्ञप्तिधारी, किराए पर देने के लिए अनुबंध की गई प्रत्येक यात्रा के एम आई एस रिर्पोट में प्ररूप–5 में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार अपने वेब पोर्टल पर संधारित करेगा तथा जो किसी भी समय एक्सेल फार्मेट में डाउनलोड किए जाने की सुविधा के साथ अनुज्ञापन प्राधिकारी तथा यातायात पुलिस के पहुंच योग्य होगी ।

(6) अनुज्ञप्तिधारी, यात्री द्वारा पहुंच योग्य इंटरनेट आवेदन प्लेटफार्म या डिजिटल आधारित आवेदन प्लेटफार्म संधारित करेगा जिसमें यात्री के लिए निम्नलिखित जानकारी प्रदर्शित होगी;

(क) वाहन चालक का फोटो;

(ख) वाहन चालक का नाम,अनुज्ञप्ति क्रमांक,वाहन की श्रेणी,अनुज्ञप्ति की विधिमान्यता तथा वाहन चालक का मोबाइल नम्बर;

(ग) वाहन का छाया चित्र;

(घ) वाहन का रजिस्ट्रेशन क्रमांक,उपयुक्तता प्रमाणपत्र की विधिमान्यता, बीमा प्रमाणपत्र की विधिमान्यता, अनुज्ञा पत्र की वैद्यता तथा वह क्षेत्र जिसके लिए अनुज्ञा विधिमान्य है;

(ङ) लागू किराया।

(7) अनुज्ञप्तिधारी अपने मोबाइल आवेदन में एक ऐसा फीचर विकसित तथा सम्मिलित करेगा जो यात्री को समय पर उसकी वास्तविक अवस्थिति, उसकी सुरक्षा तंत्र (नेटवर्क)के भीतर के लोगों के साथ सांझा करने और आपातकाल की दशा में स्थानीय पुलिस से सम्पर्क करने की सुविधा उपलब्ध कराती हो।

(8) इन नियमों के अधीन संचालित होने वाले किसी वाहन के लिए किराया प्रभार राज्य सरकार द्वारा विहित किए गए अनुसार होगा।

(9) अनुज्ञप्तिधारी यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक यात्रा की समाप्ति पर, तय की गई दूरी, अनुसरित किए गए रास्ते का ग्राफ, इकाई किराया दर तथा करों के साथ किराए को दर्शाने वाला एक बिल बनाएगा तथा बिल ई मेल या किसी अन्य इलेक्ट्रानिक साधन के माध्यम से यात्री को भेजा जाएगा।

(10) अनुज्ञप्तिधारी वाहन चालक द्वारा यदि सवारी की कॉल को स्वीकार करने के पश्चात् निरस्त किया जाता है तो संबंधित अनुज्ञप्तिधारी पर रु. 1000 /- शास्ति अधिरोपित की जाएगी।

(11) यात्री के पास यात्रा के दौरान सामना की गई कठिनाइयों पर उनकी शिकायतों को मोबाइल ऐप अथवा दूरभाष कमांक के माध्यम से प्रस्तुत करने का विकल्प होना चाहिए। अनुज्ञप्तिधारी पन्द्रह दिन के भीतर शिकायत का समाधान करेगा तथा यात्री को सूचित करने का दायी होगा।

(12) अनुज्ञप्तिधारी वाहन चालकों की गुणवत्ता, उनका पुलिस सत्यापन तथा यात्रियों के साथ उनके आचरण के लिए उत्तरदायी होगा। अनुज्ञप्तिधारी यह भी सुनिश्चित करेगा कि वाहन चालक प्रशिक्षित,विश्वासपात्र तथा भरोसेमंद हों।

(13) अनुज्ञप्तिधारी अपने आवेदन में ऐसी सुविधा विकसित करेगा कि इन नियमों के अधीन केवल वे ही वाहन अनुबंधित किए जाएं जो कि विधिमान्य रजिस्ट्रीकृत हों और जिनके पास उपयुक्तता (फिटनेस), बीमा, प्रदूषण नियंत्रण का विधिमान्यता प्रमाण पत्र तथा वाहन चालक के पास यान चलाने की विधिमान्य अनुज्ञप्ति हो।

(14) इन नियमों के अधीन संचालित कोई वाहन सरकार द्वारा समय समय पर यथाविहित उत्सर्जन मानकों को पूरा करेगा। डीजल श्रेणी के अधीन संचालित वाहनों को ऐसे समय तक चलाए जाने हेतु अनुज्ञात किया जाएगा जब तक कि समय के व्यतीत हो जाने से वाहन की अनुज्ञप्ति समाप्त न हो जाए। अनुज्ञप्तिधारी स्वच्छ ईंधन अर्थात् लेड रहित पेट्रोल अथवा सी.एन.जी. पर वाहन चलाने का प्रयास करेगा।

(15) इन नियमों के अधीन संचालित कोई वाहन पर या वाहन के चालक के मोबाइल ऐप्लीकेशन में पृथक् से पथ और तय की गई कुल दूरी को दर्शाने वाली जी.पी.एस. / जी.पी.आर.एस. आधारित ट्रेकिंग उपकरण से संयोजित होगा। जब वाहन किराए पर दिया गया हो तब उपकरण अनुज्ञप्तिधारी के नियंत्रण कक्ष से निरन्तर संपर्क में रहेगा। अनुज्ञप्तिधारी हर समय अनुज्ञप्तिधारी की ऑन डिमांड ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी प्लेटफार्म पर पंजीकृत वाहनों की वास्तविक अवस्थिति का बीच बीच में पता करने में सक्षम होगा।

वाहन में अवस्थिति ट्रेकिंग या ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम उपलब्ध होना चाहिए. वह समय समय पर अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा यथा अवधारित विनिर्देशों का पालन करेगा तथा जब कभी भी गति आदि का पता लगाना हो तो अनुज्ञापन प्राधिकारी के नियंत्रण तथा कमांड सेंटर से एकीकृत होगा।

(16) इन नियमों के अधीन संचालित प्रत्येक वाहन पेनिक बटन से युक्त होगा जो कि यात्री को आसानी से पहुंच होगा।

(17) वाहन चालक का छाया चित्र, अनुज्ञप्ति कमांक,वाहन का रजिस्ट्रीकरण चिन्ह आदि अंतर्विष्ट करने वाले ब्यौरे वाहन के अन्दर सहज दृश्य स्थान पर प्रदर्शित किए जाएंगे, जिससे यात्री सीधे तौर पर उसे देख सकें। ये ब्यौरे ऐप पर तथा उपभोक्ता को जारी किए गए बीजकों (इनवाइस) पर भी दर्शाए जाएंगे।

(18) आर टी ओ का हेल्प लाइन नम्बर, पुलिस तथा महिला हेल्पलाइन नम्बर, वाहन के भीतर सहज दृश्य स्थान पर प्रदर्शित किया जाएगा।

(19) वाहन पर कोई भी टिन्टेड काँच ,पर्दे या फिल्म नहीं चिपकाई जाएगी।

(20) रंग राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाएगा।

(21) मोटर यान अधिनियम की धारा 88 की उप–धारा (9) के अधीन जारी किए गए अखिल भारतीय पर्यटक परमिट के अधीन संचालित हो रहे वाहनों को तब तक चलाने की अनुज्ञा दी जाएगी, जब तक कि समय के व्यतीत हो जाने से वाहन की अनुज्ञप्ति समाप्त न हो जाए।

(22) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा परमिट के अधिकृत क्षेत्र के उल्लंघन में, किसी वाहन को संचालित करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा और यदि किसी समय कोई वाहन परमिट की शर्तों का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो अनुज्ञप्तिधारी यथासंभव वाहन चालक का नाम, परिवहन की तारीख समय तथा मार्ग के पूर्ण ब्यौरे के साथ अनुज्ञापन प्राधिकारी को ऐसे उल्लंघन करने की रिपोर्ट करेगा।

(23) यदि अनुज्ञप्तिधारी परमिट अथवा इसमें उल्लिखित उपबंधों द्वारा प्राधिकृत नहीं की गई किसी रीति में, किसी वाहन का उपयोग करता है या उपयोग करवाता है या वाहन को उपयोग किए जाने हेतु अनुज्ञात करता है तो अनुज्ञप्तिधारी तथा चालक किसी व्यक्ति को जिसमें चालक द्वारा की गई किसी क्षति, हानि, अपराध भी सम्मिलित है, जुर्म के लिए संयुक्त रूप से तथा पृथक्–पृथक् जिम्मेदार होगा ।

(24) अनुज्ञप्ति के साथ बैज (बिल्ले)का भी उपबंध होगा जिससे कि हल्के वाणिज्यिक वाहन संचालित करते समय वाहन चालक की पहचान की जा सके।

(25) वाहन चालक बिना किसी आपराधिक अभिलेख के अच्छे नैतिक आचरण का होगा। कोई भी व्यक्ति जो वाहन चालन के विगत सात वर्ष के भीतर मादक औषधि या मद्यसार के प्रभाव के अधीन दोषी ठहराया गया हो या दण्ड

प्रक्रिया संहिता, 1973 के अधीन किसी भी समय किसी संज्ञेय अपराध के लिए धोखाधड़ी, लैंगिक अपराध जो किसी संज्ञेय अपराध कारित करना सम्मिलित है के लिए किसी मोटरयान का उपयोग, सम्पत्ति विवाद और/या चोरी,हिंसा का कृत्य या आंतकी का कृत्य अपराध में अंतर्वलित हो, सिद्धदोष ठहराया गया है, उसे अनुज्ञाप्तिधारी द्वारा काम पर नहीं लगाया जाएगा।

(26) अनुज्ञप्तिधारी, जितना साध्य हो, महिला चालकों को भाडे पर लेने का प्रयास करेगा।

(27) महिलाओं की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए वाहन में सेन्ट्रल लॉकिंग सिस्टम की अनुमति नहीं होगी।

(28) अनुज्ञप्तिधारी अपने ऐप में ऐसी सुविधा विकसित करेगा जो कि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा बनाए जाने वाले वोलेट को, अनुज्ञापन प्राधिकारी विनियमित एवं नियंत्रित कर सके।

(29) अनुज्ञप्तिधारी भाड़े पर दिए गए समस्त वाहनों के परिप्रेक्ष्य में वेब पोर्टल संधारित करेगा। वेबसाइट में शिकायत,सुझाव तथा शिकायतों का निराकरण के ब्यौरे तथा सुझाव के संबंध में की गई कार्यवाही को अद्यतन करेगा।।

(30) अनुज्ञप्तिधारी, उपभोक्ताओं से प्राप्त समस्त व्यक्तिगत जानकारी, नियम के उपबंध के अनुसार गोपनीय तथा सुरक्षित रखेगा, जानकारी के दुरूपयोग या लीक होने की दशा में अनुज्ञप्तिधारी उत्तरदायी होगा।

12. अनुज्ञप्ति को निलम्बित करने या रदद् करने की अनुज्ञापन प्राधिकारी की शक्ति.—

(1) अनुज्ञापन प्राधिकारी, अनुज्ञप्तिधारी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, अनुज्ञप्ति को निलम्बित या रद्द कर सकेगा, यदि—

(क) अनुज्ञप्तिधारी इन नियमों की किसी शर्त तथा निबंधनो का पालन करने में असफल रहा हो; या

(ख) अनुज्ञप्तिधारी का कोई नियोजक या अनुज्ञप्तिधारी से संलग्न वाहन का चालक किसी यात्री से दुर्व्यवहार या कदाचरण का दोषी पाया जाता है; या

(ग) किसी यात्री द्वारा अनुज्ञप्तिधारी के विरूद्व कोई शिकायत युक्तियुक्त शंका से परे साबित हो जाती है तो अनुज्ञापन प्राधिकारी, अनुज्ञप्ति को किसी विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए निलम्बित कर सकेगा या अनुज्ञप्ति को रद्द कर सकेगा।

(2) जहां अनुज्ञप्ति रद्द किए जाने या निलम्बित किए जाने के लिए दायी है और अनुज्ञापन प्राधिकारी की यह राय है कि मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, अनुज्ञप्ति को निलम्बित करने या रद्द करना आवश्यक या समीचीन नहीं है, और यदि अनुज्ञप्ति का धारक जुर्माने की राशि जमा करने

को सहमत है जो कि अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा अधिरोपित किया जाए, तो इसमें ऊपर उल्लिखित किसी बात के होते हुए भी, अनुज्ञापन प्राधिकारी,यथास्थिति, अनुज्ञप्ति को निलम्बित करने या रद्द करने के बदले में उक्त जुर्माने की राशि अनुज्ञप्तिधारक से वसूल कर सकेगा।

(3) सहमति पर धनराशि की वसूली के प्रयोजन के लिए, राज्य सरकार,राजपत्र में अधिसूचना द्वारा,निलम्बन के लिए वसूलनीय धनराशि तथा अनुज्ञप्ति के रद्दकरण के बदले में वसूलनीय धनराशि विनिर्दिष्ट कर सकेगी।

(4) जब अनुज्ञप्ति उप–नियम (1) के अधीन निलम्बित या रद्द कर दी जाती है तो अनुज्ञप्ति धारक अनुज्ञप्ति को अनुज्ञापन प्राधिकारी को समर्पित कर देगा।

13. अपील.– नियम 6 या 12 के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी के किसी आदेश से व्यथित अनुज्ञप्तिधारी, आदेश प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर परिवहन आयुक्त, मध्यप्रदेश को अपील कर सकेगा।

14.अपील की प्रक्रिया.–(1) नियम 13 के अधीन अपील दो प्रतियों में अनुज्ञापन के रूप में अधिमान की जाएगी, जिसमें अनुज्ञापन प्राधिकारी के आदेश की आपत्तियों के आधारों को बताते हुए किया जाएगा और अनुसूची–एक में विनिर्दिष्ट फीस के साथ होगी।

15. प्रकीर्ण.–

(1) अनुज्ञप्ति का धारक,–

(क) उसके कार्यालय को अन्यत्र परिवर्तित करने की सूचना अनुज्ञापन प्राधिकारी को देगा;

(ख) परिसर तथा संधारित किए जाने वाले समस्त अभिलेखों को अनुज्ञापन प्राधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी के लिए सभी युक्तियुक्त समयों पर निरीक्षण हेतु खुला रखेगा;

(ग) ऐसी जानकारी तथा विवरणी जिसकी मांग की जाए, विभाग को समय समय पर प्रस्तुत करेगा।

(घ) उसके कार्यालय के प्रमुख स्थान पर तथा उसके वेब पोर्टल पर अनुज्ञप्ति प्रदर्शित करेगा।

(2) अनुज्ञप्तिधारी किसी भी समय तीन माह की पूर्व सूचना द्वारा अनुज्ञप्ति को अभ्यर्पित कर सकेगा तथा ऐसे अभ्यर्पण पर, अनुज्ञापन प्राधिकारी, अनुज्ञप्ति को रद्द करेगा। अनुज्ञप्ति धारक, अनुज्ञप्ति अभ्यर्पित करने के पूर्व समस्त शोध्य जमा करेगा जिसके अंतर्गत अनुज्ञप्ति रद्द समझी गई है तथा बैंक गारन्टी समपहृत हो जाएगी।

(3) अनुज्ञप्तिधारी, अनुज्ञापन प्राधिकारी को क्षतिपूर्ति तथा संरक्षण का तथा सरकार से तथा उसके विरूद्ध की गई समस्त कार्रवाईयां, कार्यवाहियां, हानियां, नुकसान, खर्चे, हर्जाना प्रभार, दावे तथा उसके अभिकर्ताओं या नियोजकों द्वारा अनुज्ञप्ति

की विधिमान्यता के दौरान या उसकी अभिरक्षा में किसी कृत्य या चूक के कारण, अनुज्ञापन प्राधिकारी तथा सरकार के विरूद्ध लाए गए किसी भी प्रकार की मांग तथा विवरण को देने का वचन देगा।

(4) इन नियमों के अंतर्गत न्यायालय के माध्यम से समूहक (एग्रीगेटर) तथा राज्य सरकार के मध्य किसी विवाद के निपटारे के लिए क्षेत्राधिकार अनुज्ञापन प्राधिकारी का मुख्यालय होगा।

अनुसूची–एक

1. अनुज्ञप्ति के प्रदान करने या नवीनीकरण हेतु फीस.–

(क)	समूहक(एग्रीगेटर) के माध्यम से संचालित मैक्सी कैब, मोटर कैब हेतु		50,000/–
(ख)	समूहक(एग्रीगेटर) के माध्यम से संचालित आटो रिक्शा हेतु		25,000/–
(ग)	समूहक(एग्रीगेटर) के माध्यम से संचालित मोटर साइकिल हेतु		15,000/–

2. द्वितीय अनुज्ञप्ति जारी करने हेतु फीस.–

(क)	समूहक(एग्रीगेटर) द्वारा संचालित मैक्सी कैब, मोटर कैब हेतु		30,000/–
(ख)	समूहक(एग्रीगेटर) द्वारा संचालित आटो रिक्शा हेतु		15,000/–
(ग)	समूहक(एग्रीगेटर) द्वारा संचालित मोटर साइकिल हेतु		5,000/–

3. नियम–13 के अधीन अपील के लिए फीस.–

(क)	समूहक(एग्रीगेटर) द्वारा संचालित मैक्सी कैब,मोटर कैब हेतु		10,000/–
(ख)	समूहक(एग्रीगेटर) द्वारा संचालित आटो रिक्शा हेतु		8,000/–
(ग)	समूहक(एग्रीगेटर) द्वारा संचालित मोटर साइकिल हेतु		5,000/–

प्ररूप—एक
(नियम 4 देखिए)

मैक्सी कैब, मोटर कैब, आटो रिक्शा तथा मोटर साइकिल को भाड़े हेतु समूहक(एग्रीगेटर) के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान करने या नवीनीकरण हेतु आवेदन

प्रति,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी,
....मध्यप्रदेश

मैं, अधोहस्ताक्षरकर्ता एतदद्वारा नीचे वर्णित कम्पनी/फर्म के निमित्त मोटर कैब/आटो रिक्शा/मोटर साइकिल को भाड़े पर लेने हेतु समूहक(एग्रीगेटर) हेतु अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन कर रहा हूं

1. पूरा नाम ....
2. पिता/पत्नि/पुत्री...
3. कम्पनी/फर्म में धारित पद...
4. पूर्ण पता..
5. ई—मेल आई.डी...
6. फोन नम्बर'..
7. कम्पनी/फर्म का नाम...
8. कम्पनी/फर्म का पंजीयन क्रमांक...
9. कम्पनी/फर्म के मुख्यालय का पूर्ण पता..
10. कम्पनी/फर्म के मुख्यालय का ई—मेल आई.डी..
11. कम्पनी/फर्म के मुख्यालय का फोन नम्बर..
12. कम्पनी/फर्म के स्थानीय कार्यालय का पता...
13. कम्पनी/फर्म के स्थानीय कार्यालय का ई—मेल आई.डी...........................
14. कम्पनी/फर्म के स्थानीय कार्यालय का फोन नम्बर.................................

15. कम्पनी / फर्म का वेब पोर्टल पता..

16. वाहन का वर्ग जिसकी अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन किया है.......................

17. शहर का नाम, जिसके लिए आवेदन किया है...

18. फ्लीट में उपलब्ध वाहन की संख्या..

19. अनुज्ञप्ति का विवरण, यदि पूर्व से धारित हो..

20. मैं मोटर कैब, आटो रिक्शा और मोटर साइकिल को भाड़े पर लेने हेतु अनुबंधकर्ता के रूप में कारबार करने की शर्तों से अवगत हूं।

21. मैं, एतद्द्वारा, घोषणा करता हूं कि उपरोक्त दिए गए विवरण मेरे ज्ञान और विश्वास से सही और सत्य हैं।

मेरे द्वारा विहित फीस रूपए.................. पावती क्रमांक.......................
दिनांक...............................को ऑनलाईन संदत्त कर दी गई है।

स्थान...................

दिनांक.................. आवेदक के हस्ताक्षर

प्ररूप—2

(नियम 6 देखिए)

मैक्सी कैब, मोटर कैब, आटो रिक्शा और मोटर साइकिल को भाड़े पर लेने के लिए समूहक(एग्रीगेटर) हेतु अनुज्ञप्ति

1. अनुज्ञप्तिधारी कम्पनी का पूरा नाम/फर्म ....
2. अनुज्ञप्तिधारी कम्पनी का पूरा पता/फर्म के मुख्यालय ....
....
3. अनुज्ञप्तिधारी कम्पनी के स्थानीय कार्यालय का पूरा पता/फर्म ....
4. अनुज्ञप्तिधारी कम्पनी का वेब पोर्टल /फर्म ....

अनुज्ञप्ति क्रमांक..वाहन का प्रवर्ग..........................
शहर में अनुज्ञप्ति विधिमान्य है.................................

जारी करने की तारीख......................तक विधिमान्य ....है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी
मध्यप्रदेश

नवीनीकरण

तारीख..................................से तारीख...........................तक नवीनीकरण

प्ररूप—3

(नियम 10 देखिए)

मैक्सी कैब, मोटर कैब, आटो रिक्शा तथा मोटर साइकिल को भाड़े पर देने के लिए समूहक(एग्रीगेटर) हेतु द्वितीय अनुज्ञप्ति प्रति के लिए आवेदन

प्रति,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी,
................................मध्यप्रदेश

मैं, अधोहस्ताक्षरकर्ता, एतद्द्वारा, नीचे वर्णित कंपनी/फर्म के निमित्त यह घोषित करता हूं कि मैक्सी कैब/मोटर कैब/आटो रिक्शा/ मोटर साइकिल को भाड़े पर देने हेतु प्रदान की गई अनुज्ञप्ति खो गई/नष्ट हो गई/खराब हो गई है जो अपाठ्य है, अतः एतद्द्वारा, मैं अनुज्ञप्ति की द्वितीय प्रति हेतु आवेदन कर रहा हूं।

1. पूरा नाम ....

2. पिता/पत्नि/पुत्री...

3. कम्पनी/फर्म में धारित पद...

4. पूर्ण पता ....

5. ई—मेल आई.डी...

6. फोन नम्बर..

7. कम्पनी/फर्म का नाम...

8. कम्पनी/फर्म का वेब पोर्टल पता...

9. अनुज्ञप्ति के विवरण.—

अनुज्ञप्ति क्रमांक.......................वाहन का प्रवर्ग.........................

.... शहर में विधिमान्य अनुज्ञप्ति

जारी करने की तारीख...तक विधिमान्य है

मेरे द्वारा विहित फीस रूपए.....................पावती क्रमांक..............तारीख..................

को ऑनलाईन जमा की गई है।

आवेदक के हस्ताक्षर

स्थान..................

प्ररूप—4

(नियम 11 का उप—नियम 4 देखिए)

फ्लीट की विशिष्टयों का प्रतिवेदन

अनुक्रमांक	फ्लीट में वाहनों को संलग्न करने की तारीख	वाहन का पंजीयन क्रमांक	वाहन का प्रवर्ग	परमिट क्रमांक	क्षेत्र जिसके लिए परमिट विधिमान्य है	परमिट की विधिमान्यता	फिटनेस प्रमाणपत्र की विधिमान्यता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

बीमा प्रमाणपत्र की विधिमान्यता	प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र की विधिमान्यता	वाहन चालक का नाम	चालन अनुज्ञप्ति क्रमांक	चलाने हेतु प्राधिकृत यान का प्रवर्ग	वाहन चलने की अनुज्ञप्ति की विधिमान्यता	वाहन चालक का मोबाइल नम्बर
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)

वाहन में प्रयुक्त ईंधन
(16)

प्रारूप –5

(नियम 11 का उप–नियम 5 देखिए)

अनुबंधित यात्रा फेरों की रिपोर्ट

अनु.क्रं	ट्रिप तारीख	ट्रिप का समय	वाहन का पंजीयन कमांक	वाहन का प्रवर्ग	परमिट कमांक	क्षेत्र जिसके लिए परमिट विधिमान्य है	परमिट की विधिमान्यता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

फिटनेस प्रमाण पत्र की विधिमान्यता	बीमा प्रमाणपत्र की विधिमान्यता	प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र की विधिमान्यता	वाहन चालक का नाम	वाहन चलाने की अनुज्ञप्ति कमांक	वाहन चलाने हेतु प्राधिकृत यान का प्रवर्ग	वाहन चलने की अनुज्ञप्ति की विधिमान्यता	वाहन चालक का मोबाइल नम्बर
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)

ट्रिप का मार्ग	ट्रिप की दूरी	कुल किराया	वाहन मे प्रयुक्त ईधन
(17)	(18)	(19)	(20)

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आशीष भार्गव, उपसचिव.

Bhopal, the 9th September 2019

NO.F-22-10-2017-VIII- In exercise of the powers conferred by section 75, sub-section (1) of section 85, section 93, sub-section (1) of section 95 and clause (xxviii) of sub section (2) of section 96 of the Motor Vehicles Act, 1988 (No.59 of 1988), the State Government, hereby, makes the following Madhya Pradesh Aggregator For the Hire of Maxi cab, motor cab, Auto rickshaw and Motor Cycle Rules, the having been previously published by sub-section (1) of section 212 of the said Act, namely:-

RULES

1. **Short title, commencement and Application,-**

(1) These rules may be called the Madhya Pradesh Aggregator For the Hire of Maxi cab, motor cab, Auto rickshaw and motor cycle Rules, 2017.

(2) These rules shall come into force with effect from the date of their publication in the Madhya Pradesh Gazette.

(3) These rules shall be applicable in the whole State of Madhya Pradesh.

2. **Definitions-**(1) In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) "Act" means the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988);

(b) "Aggregator" means a digital intermediary for a passenger to connect with a driver for the purposes of transportation;

(c) "Fleet"means number of vehicles either owned or attached through an agreement by licensee.

(d) "Licence" means a licence granted or renewed under rule 6 ;

(e) "Licensing Authority" means the Regional Transport Authority constituted under sub-section (1) of section 68 of the Act;

(f) "Lincensee" means an aggregator who holds licence issued under these rules.

(2) Words and expressions used in these Rules but not defined herein shall have the same meaning as respectively assigned to them in the Act and the rules made there under.

3. *Licensing of aggregator* for the hire of *maxi cab*, motor cab auto rickshaw or motor cycle.-

No person shall engage himself as an aggregator for the hire of maxi cab, motor cab, auto rickshaw or motor cycle without a licence issued under these rules.

4. Application for grant or renewal of licence.-

(1) An application for grant or renewal of licence under rule 6 shall be made in Form 1 accompanied with fee specified in Schedule-1, to Licensing Authority which licensee shall carry business under these rules.

(2) Separate application shall be made for grant or renewal of licence under rule 6 for motor cab, auto rickshaw and motor cycle category.

(3) Separate application shall be made for grant or renewal of licence under rule 6 for each city.

5. Scrutiny of applications.-

(1) The applicant shall be a firm registered under the Indian Partnership Act, 1932 (9 of 1932) or a company registered under the Companies Act, 2013 (18 of 2013).

(2) The applicant shall have a registered office in the city for which the licence is applied and details of its headquarter

including telephone number, e-mail ID and details of office- in-charge are provided in the application.

(3) Applicant shall have minimum 25 vehicles of the category mentioned in application either owned or attached through an agreement.

6. Grant of licence.- The licensing authority may, on receipt of an application under rule 4 and after satisfying himself that the applicant has complied with the requirements of rule 5, shall grant or renew licence in Form-2:

Provided that no application for a licence shall be refused by licensing authority unless the applicant is given an opportunity of being heard and reasons of such refusal are given in writing by the licensing authority.

7. Security deposits.- The applicant for a licence under these rules shall furnish security by way of performance guarantee of rupees ten lac for licence of motor cab, rupees two lac for licence of auto rickshaw and rupees one lac for licence of motor cycle of the motor cycle drawn in favour of the licensing authority and performance guarantee furnished shall be effective till the validity of licence.

8. Duration of licence.- A licence granted or renewed under rule 6 shall be valid for a period of two years from the date of grant or renewal.

9. Renewal of licence.-

(1) An application for renewal of licence shall be made to Licensing Authority within sixty days prior to the expiry of licence and shall be accompanied with original licence and fee specified in Schedule-1

(2) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1),the Licensing Authority may entertain an application for renewal of licence after the date of expiry of such licence if it is satisfied that

the applicant was restrained by good and sufficient cause from making an application within the time specified. In such case Licensing Authority may renew licence by charging late fee of Rs. 5000/-per month or part thereof from the date of expiry of such licence, in addition to fee specified in Schedule-1 and such renewal shall have effect from the date of such expiry.

10. Issue of duplicate licence.- If at any time the licence issued under these rules is lost, destroyed or defaced, the licensee shall forth with apply to the licensing authority for the issue of duplicate licence in Form-3 accompanied with the fee as specified in schedule-1. Upon the receipt of such application the licensing authority shall issue duplicate licence stamped 'Duplicate' with red ink. If the duplicate licence is issued on a representation that the licence originally granted has been lost and the original licence has been subsequently found, the duplicate licence shall be surrendered to the licensing authority.

11. General conditions to be observed by the holder of licence.-

(1) The licensee shall abide by all relevant statutes as may be applicable including the Motor Vehicles Act, 1988 and the Information Technology Act, 2000 and the rules made there under.

(2) The licensee shall work as an aggregator through a web portal or app, details of which shall be provided to the concerned licensing authority and Traffic police.

(3) The licensee shall maintain a web portal or app in which all updated details of licence, registration number, address, e-mail ID and contact details of its head office and local office, name of the company/firm shall be made available.

(4) Licensee shall maintain the updated MIS report of the fleet as specified in Form-4 and it shall be provided to the Licensing Authority and traffic police as per requirement.

(5) The licensee shall maintain a MIS report specified in Form-5 on its web portal of each trip aggregated for hire and which shall be accessible by licensing authority and traffic police with facility of being download in excel format at any time.

(6) The licensee shall maintain internet enabled application platform or digital based application platform, to be accessed by the passenger which shall display the following information for the passenger-

(a) the photo of the driver;

(b) name of the driver, license number, category of the vehicle, validity of licence and mobile number of driver;

(c) the photograph of the vehicle;

(d) registration number of the vehicle, validity of fitness certificate, validity of insurance certificate, validity of licence and the area for which the licence is valid;

(e) the applicable fare.

(7) The licensee shall develop and include a feature in its mobile application that provides the passenger a facility to share their real time location with the people within their safety network and to contact local police in case of an emergency.

(8) Fare charges for any vehicle operating under these rules shall be prescribed by State Government.

(9) The licensee shall ensure that at the end of every journey, a bill showing the distance travelled, graph of rout followed, unit rate fare along with taxes is generated and be sent to the passenger through e-mail or any other electronic means.

(10) If the licensee cancelled the call of the rider after accepting it, then penalty of Rs. 1000/- will be imposed to concerned licensee.

(11) The passenger must have the option to submit their grievances on difficulties faced during the travel via the mobile app or telephone number. The licensee is liable to resolve the grievance and inform the passenger within fifteen days.

(12) The licensee shall be responsible for quality of drivers, their police verification and their behaviour with the passengers. The licensee shall also ensure that the drivers are safe, faithful and reliable.

(13) The licensee shall develop such facility in its application that only those vehicles are aggregated under these rules which are validly registered and which have valid certificate of fitness, insurance, pollution control, valid permit and the driver have valid license for driving particular class of vehicle.

(14) Any vehicle operating under these rules shall meet the emission standards as prescribed by the Government from time to time. Vehicles are being operated under diesel category shall be allowed to ply until such time the vehicle's permit expires by efflux of time. The licensee shall endeavour to on-board vehicles driven on clean fuel i.e. unleaded petrol or CNG.

(15) Any vehicle operating under these rules shall have either fitted in vehicle or separately operating in mobile application of the driver of the vehicle, GPS/GPRS based tracking device showing the path travelled and total distance covered. The device shall be in constant communication with the control room of the licensee while the taxi is on hire. The licensee shall at all times have the ability to track centrally the real time location of the vehicles registered with on the licensee's on demand transportation technology platform.

Vehicle should be provided with the location tracking or the global positioning system, shall comply with the specification as laid down by the licensing authority from time to time and shall be integrated with control and command centre of the licensing authority as when required to track speed etc.

(16) Every vehicle operating under these rules shall be equipped with panic button which is easily accessible to the passenger.

(17) The details containing the photograph of the driver licence number, registration mark of the vehicle etc. shall be displayed prominently inside the vehicle, so that the same is directly visible to the passenger, these details shall also be made visible on the app and on the invoices issued to the customer.

(18) Helpline numbers of RTO, Police and Women's Help line shall be prominently displayed inside the vehicle.

(19) No tinted glass or curtains or films shall be affixed on the vehicle.

(20) Colour shall be specified by the State Government.

(21) Vehicles being operated under All India Tourist Permits issued under sub-section (9) of section 88 of the Motor Vehicle Act shall be allowed to ply until such time the vehicle's permit expires by efflux of time.

(22) In contravention of the authorised area in the permit, the licensee shall not be allowed to operate of any vehicles and if the vehicle is found at any time to contravention of the conditions of the vehicles of the permit, then the licensee shall give report of such contravention as for as possible, name of the driver, date of the transportation and full details of time and routes to the Licensing Authority.

(23) If the licensee uses or cause to be used or allows a vehicle to be used in any manner not authorized by permit or provision mentioned herein, the licensee and the driver shall be jointly and severally responsible for any injury, harm, offence or crime committed by any person including the driver.

(24) Along with license there should be provision of badge so that driver operating light commercial vehicle could be identified.

(25) The driver shall be of good moral character without any criminal record. Any person who has been convicted within the past seven years of driving under the influence of drugs or alcohol, or has been convicted at any time for any cognizable offence under the Code of Criminal Procedure, 1973, including fraud, sexual offences, use of a motor vehicle to commit a cognizable offence, a crime involving property dispute and/or theft, acts of violence or acts of terror shall not be engaged by the licensee.

(26) The licensee shall endeavor to hire as many women drivers as may be feasible.

(27) For safety of women, the central locking system in the vehicle should not be allowed.

(28) The licensee shall develop such facility in its app that wallet to be made by the licensee, Licensing authority can regulate and control.

(29) The licensee shall maintain web portal in pursuance of all vehicles given on hire. In the website updated details of complaint, suggestion and decision on complaints and proceedings in respect of suggestion.

(30) The licensee shall keep all personal information received from the consumers confidential and safe as per provision of rule, in case of any information are misused or leak then the licensee shall responsible.

12. Power of licensing authority to suspend or cancel licence.- (1)The licensing authority may, after giving an opportunity of being heard to the licensee, suspend or cancel the licence, if-

(a) The licensee has failed to comply with any of the terms and conditions of these rules; or

(b) an employee of licensee or driver of vehicle attached to the licensee is guilty of any misbehavior or misconduct with any passenger; or

(c) any complaint against the licensee by any passenger has been proved beyond reasonable doubt the licensing authority may suspend the licence for a specified period or cancel the license.

(2) Where the licence is liable to be cancelled or suspended and the licensing authority is of the opinion that having regard to the circumstances of the case, it would not be necessary or expedient to cancel or suspend the license, and if the holder of the license agrees to pay a fine which may be imposed by the licensing authority, then notwithstanding anything contained hereinabove, the licensing authority may instead of suspending or cancelling the license, as the case may be, recover the amount from the holder of the license the said fine.

(3) For the purpose of recovery of sums of money agreed upon, the State Government may, by notification in the official gazette, specify the amount recoverable for suspension and amount recoverable in lieu of cancellation of licence.

(4) When the licence is suspended or cancelled under sub rule (1), the holder of the licence shall surrender the licence to the Licensing Authority.

13. Appeal.-The licensee aggrieved by any order of the Licensing Authority under rule 6 or 12, may within thirty days of the receipt of order, make an appeal to the Transport Commissioner, Madhya Pradesh.

14. Procedure for appeal.- (1) An appeal under rule 13 shall be preferred in duplicate in the form of memorandum setting forth the ground of objections to the order of Licensing Authority and shall be accompanied by a fee specified in schedule-1.

15. Miscellaneous.- (1)**The holder of a licence shall-**

(a) intimate any shifting of his office to the Licensing Authority;

(b) keep the premises and all the records maintained open for inspection at all reasonable times by the Licensing Authority or officers authorised by them;

(c) submit from time to time to the department such information and return as may be called for;

(d) display the licence at a prominent place in its office and on its web portal.

(2) The licensee may at any time surrender the licence by prior intimation of three months and on surrender the Licensing Authority shall cancel the licence. The holder of the licensee shall clear all dues before surrendering the licence, failing which licence shall be deemed to be cancelled and the bank guarantee shall be forfeited.

(3) The licensee shall undertake to indemnity and protect to Licensing authority, and from the Government and against him all actions, proceedings, losses, costs, damages, charges, claims and demands of any nature and description brought against the Licensing Authority and Government by reason of any act or omission of the licensee, his agents or employees or during the validity of the licence or in the guarding of the same.

(4) The jurisdiction for settlement of any dispute between the aggregator and the State Government through the courts under these rules shall be at the headquarter of the Licensing Authority.

Schedule-1

1. Fee for grant or renewal of licence.-

(a)	For Maxi cab, motor cab operated through aggregator		50,000/-
(b)	For auto rickshaw operated through aggregator		25,000/-
(c)	For motor cycle operated through aggregator		15,000/-

2. Fee for issue of duplicate licence.-

(a)	For Maxi cab, motor cab operated through aggregator		30,000/-
(b)	For auto rickshaw operated through aggregator		15,000/-
(c)	For motor cycle operated through aggregator		5,000/-

3. Fee for appeal under rule-13

(a)	For Maxi cab, motor cab operated through aggregator		10,000/-
(b)	For auto rickshaw operated through aggregator		8,000/-
(c)	For motor cycle operated through aggregator		5,000/-

Form-1

(see rule 4)

APPLICATION FOR GRANT OR RENEWAL OF LICENCE FOR AGGREGATOR FOR THE HIRE OF MAXI CAB,MOTOR CAB, AUTO RICKSHAW AND MOTOR CYCLE

To,

The Regional Transport Authority,

............................Madhya Pradesh

I, the undersigned hereby apply on behalf of under mentioned company/Firm for a licence for aggregator for the hire of motor cab/auto rickshaw/motor cycle.

1. Full name...
2. Son/Wife/Daughter of ....
3. Post held in the Company/Firm...
4. Full address ....
5. E-mail ID..
6. Phone number ....
7. Name of the Company/Firm ....
8. Registration number of company/firm ....
9. Full address of company/firm head office ....
10. E-mail ID of company/firm headquarter ....
11. Phone number of company/firm headquarter ....
12. Address of local office of the company/firm ....
13. E-mail ID of local office of the company/firm ....
14. Phone number of the local office of the company/firm ....
15. Web portal address of the company/firm ....

16. Category of vehicle for which the licence is applied ....

17. Name of City for which applied ....

18. Number of vehicle available in the fleet ....

19. Particular of licence if held earlier ....

20. I am conversant with the conditions for carrying the business as aggregator for hire of the motor cab, auto rickshaw and motor cycle.

21. I, hereby, declare that to the best of my knowledge and belief the particulars given above are correct and true.

The prescribed fee of Rs..........................is paid by me by on line receipt number .... and date..

Place ....

Date ....

Signature of applicant

FORM-2
(see rule 6)
LICENCE FOR AGGREGATOR FOR THE HIRE OF MAXI CAB, MOTOR CAB, AUTO RICKSHAW AND MOTOR CYCLE

1. Full name of the licensee company/firm ....
2. Complete address of the licensee company/firm head office......
   ....
3. Full address of the local office of the licensee company/firm ...
   ....
4. Web portal of the licensee company/firm ....

Licence number..................category of vehicle................Licence is valid in the city of ....Date of issue..........................Valid up to ....

Regional Transport Authority
Madhya Pradesh

RENEWAL

Renewal from.........................up to.................................

FORM-3
(see rule 10)

APPLICATION FOR DUPLICATE LICENCE FOR AGGREGATOR FOR THE HIRE OF MAXI CAB, MOTOR CAB,AUTO RICKSHAW AND MOTOR CYCLE

To,

The Regional Transport Authority,
..........................Madhya Pradesh

I, the undersigned, hereby, declare on behalf under mentioned company/firm that the licence granted for the hire of motor cab/auto rickshaw /motor cycle is lost/destroyed/defaced which is to be illegible, thus, I, hereby, applying for the duplicate licence.

1. Full name...

2. Son/Wife/Daughter of ....

3. Post held in the Company/Firm.................................

4. Full address ....

5. E-mail ID..

6. Phone number ....

7. Name of the Company/Firm ....

8. Web portal address of the company/firm ....

9. Particulars of licence.........

Licence number.......................category of vehicle...........

Licence is valid in the city ....Date of issue ....Valid up to ....The prescribed fee of Rs.........................is paid by me by on line receipt number .... and date..................................

Place ....   Signature of applicant

FORM-4

[see sub-rule (4) of rule 11]

Report of Particulars of fleet

S.No.	Date of attachment of vehicles in the fleet	Registration No. of vehicle	Category of vehicle	Permit number	Area for which permit is valid	Validity of the permit	Validity of fitness certificate
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

Validity of insurance certificate	Validity of Pollution Control certificate	Name of the driver	Driving licence number	Category of vehicle authorised to drive	Validity of driving licence	Mobile number of the driver
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)

Fuel used in the vehicle
(16)

FORM-5

(see sub rule (5) of rule 11)

REPORT OF TRIP AGGREGATION

S.No.	Date of trip	Time of trip	Registration number of vehicle	Category of vehicle	Permit number	Area for which permit is valid	Validity of permit
1	2	3	4	5	6	7	8

Validity of fitness certificate	Validity of insurance certificate	Validity of Pollution control certificate	Name of driver	Driving licence number	Category of vehicle authorised for driving	Validity of driving licence
9	10	11	12	13	14	15

Mobile number of the driver	Route of trip	Distance of trip	Total fare	Fuel used in the vehicle
16	17	18	19	20

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ASHISH BHARGAVA, Dy. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2019.